

राजस्थान सरकार  
कार्यालय जिला कलक्टर, बारां

क्रमांक-एफ-4(5)( ) राजस्व/2023/

दिनांक

2023

—:: आदेश ::—

अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड बारां द्वारा हथियादेह डूब क्षेत्र में आ रही वन भूमि की एवज में 242.50 है० भूमि का आवंटन वन विभाग को किये जाने की मांग करने पर तहसीलदार, अंता द्वारा ग्राम पंचायत बालदडा, ग्राम तिखोद, तहसील अंता में वन विभाग हेतु आराजी खसरा नं. 56 रकबा 6.00 है० में से रकबा 2.07 है०, ख.न. 57 रकबा 4.70 है० में से रकबा 2.42 है०, ख.न. 58 रकबा 3.40 है०, ख.न. 59 रकबा 6.00 है०, ख.न. 60 रकबा 9.00 है०, ख.न. 61 रकबा 2.70 है०, ख.न. 63 रकबा 7.30 है०, ख.न. 547/64 रकबा 10.80 है०, ख.न. 546/80 रकबा 1.00 है०, ख.न. 81 रकबा 4.00 है० तथा ख.न. 82 रकबा 4.00 है० कुल किता 11 कुल रकबा 52.69 है० किस्म बंजड भूमि एवं इसी के साथ ग्राम पंचायत पाटोन्दा ग्राम पाटोन्दा तहसील अंता में वन विभाग हेतु आराजी ख.न. 9 रकबा 6.15 है०, ख.न. 204 रकबा 32.73 है०, ख.न. 1115 रकबा 12.00 है०, ख.न. 1116 रकबा 5.76 है०, ख.न. 1201 रकबा 10.84 है०, ख.न. 1202 रकबा 18.00 है०, ख.न. 2376/1203 रकबा 4.90 है०, ख.न. 1337 रकबा 12.20 है०, ख.न. 1360 रकबा 14.17 है०, ख.न. 1397 रकबा 4.71 है०, ख.न. 2377/1398 रकबा 2.64 है०, ख.न. 2451/10 रकबा 2.64 है०, ख.न. 2453/1025 रकबा 3.71 है०, ख.न. 2455/1026 रकबा 7.07 है०, ख.न. 2457/1109 रकबा 4.21 है०, ख.न. 2459/1113 रकबा 10.53 है०, ख.न. 2461/1114 रकबा 9.26 है०, ख.न. 2463/2 रकबा 6.89 है०, ख.न. 2465/8 रकबा 11.10 है०, ख.न. 317 रकबा 0.11 है०, किस्म गै०मु० खाल व ख.न. 1200 रकबा 10.19 है०, किस्म बंजड कुल किता 21 रकबा 189.81 है० भूमि प्रस्तावित की गई है।

शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 6(297)राज०-3/2022 दिनांक 12.01.2023 द्वारा ग्राम तिखोद एवं पाटोन्दा के ख.न. का कुल रकबा 242.50 है० भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग को निशुल्क आवंटन किये जाने की राजकीय स्वीकृति प्रदान की गई है।

अतः शासन विशिष्ट सचिव, राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक पत्र 6(297)राज०-3/2022 दिनांक 12.01.2023 से प्राप्त राजकीय स्वीकृति के क्रम में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा की धारा 102 के तहत एवं अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड बारां की मांग, उप वन संरक्षक, बारां की सहमति तथा उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार, अंता की अनुशंसा के आधार पर ग्राम पंचायत बालदडा, ग्राम तिखोद, तहसील अंता आराजी खसरा नं. 56 रकबा 6.00 है० में से रकबा 2.07 है०, ख. न. 57 रकबा 4.70 है० में से रकबा 2.42 है०, ख.न. 58 रकबा 3.40 है०, ख.न. 59 रकबा 6.00 है०, ख.न. 60 रकबा 9.00 है०, ख.न. 61 रकबा 2.70 है०, ख.न. 63 रकबा 7.30 है०, ख.न. 547/64 रकबा 10.80 है०, ख.न. 546/80 रकबा 1.00 है०, ख.न. 81 रकबा 4.00 है० तथा ख.न. 82 रकबा 4.00 है० कुल किता 11 कुल रकबा 52.69 है० किस्म बंजड भूमि एवं इसी के साथ ग्राम पंचायत पाटोन्दा ग्राम पाटोन्दा तहसील अंता में वन विभाग हेतु आराजी ख.न. 9 रकबा 6.15 है०, ख.न. 204 रकबा 32.73 है०, ख.न. 1115 रकबा 12.00 है०, ख.न. 1116 रकबा 5.76 है०, ख.न. 1201 रकबा 10.84 है०, ख.न. 1202 रकबा 18.00 है०, ख.न. 2376/1203 रकबा 4.90 है०, ख.न. 1337 रकबा 12.20 है०, ख.न. 1360 रकबा 14.17 है०, ख.न. 1397 रकबा 4.71 है०, ख.न. 2377/1398 रकबा 2.64 है०, ख.न. 2451/10 रकबा 2.64 है०, ख.न. 2453/1025 रकबा 3.71 है०, ख.न. 2455/1026 रकबा 7.07 है०, ख.न. 2457/1109 रकबा 4.21 है०, ख.न. 2459/1113 रकबा 10.53 है०, ख.न. 2461/1114 रकबा 9.26 है०, ख.न. 2463/2 रकबा 6.89 है०, ख.न. 2465/8 रकबा 11.10 है०, ख.न. 317 रकबा 0.11 है०, किस्म गै०मु० खाल व ख.न. 1200 रकबा 10.19 है०, किस्म बंजड कुल किता 21 रकबा 189.81 है० अर्थात् ग्राम तिखोद एवं पाटोन्दा के ख.न. का कुल रकबा 242.50 है० भूमि राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 102 के तहत वन विभाग के नाम निशुल्क आवंटन किया जाता है।

नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

(नरेन्द्र गुप्ता)  
जिला कलक्टर,  
बारां

दिनांक 09.02.2023

क्रमांक-एफ-4(5)(13) राजस्व/2023/ 847 - 52

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. शासन उप सचिव राजस्व (ग्रुप-3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. उप वन संरक्षक, बारां।
3. अधिशायी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड बारां।
4. उपखण्ड अधिकारी, अंता।
5. तहसीलदार, अंता को भेजकर लेख है कि आवंटन आदेश में अंकित भूमियों पर संबंधित को दखल दिया जाकर दखलनामे की प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत करें तथा आवंटित भूमियों का नियमानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
6. रक्षित पत्रावली।

अति० जिला कलक्टर,  
बारां